(10)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली-110002, दिनांक 24 जून 1997

सं. एफ-28-11/95 एन. सी. टी. ई.—खण्ड 32 के उप-खण्ड (2) की धारा (च) तथा धारा (छ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) के साथ पढ़ा जाय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 1995 को एफ. 28-11/95 एन. सी. टी. ई. द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिये आवेदन-पत्र भेजने की विधि, संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) विनियम, 1995 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाये गये हैं ।

1. इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिये आवेदन-पत्र, आवेदन-पत्र भेजने की विधि, संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) (संशोधन), विनियम, 1997 होगा ।

2. इन्हें तत्काल से लागू माना जाएगा ।

3. अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिये आवेदन-पत्र, आवेदन-पत्र भेजने की विधि, संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) विनियम, 1995 के परिशिष्ट 11 (ग) शीर्षक 'अध्यापक शिक्षा, माध्यमिक-भानक और मानदण्ड' में पैरा 5.4 तथा 9.1 को यथास्थान संशोधित कर दिया गया है और उनके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा तथा पैरा 9.2 निकाल दिया गया है ।

5.4 कर्मचारी-वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयन के बाद, सभी कार्यों को पूर्णकालिक नियमित आधार पर नियुक्त किया जाए । अध्यापक वर्ग का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए ।

सहायक निदेशक
भारत सरकार,
मिसिल ब्रांच

997 (आषाढ़ 28, 1919) [भाग III—खण्ड 4

9.0 प्रबन्ध सम्बन्धी मानक

9.1 एक प्रबन्ध समिति होनी चाहिए जिसका आधार विस्तीर्ण हो । अध्यक्ष और सदस्यों सहित समिति में प्राचार्य एवं कर्मचारी-वर्ग के एक या दो प्रतिनिधि भी रहें ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य-सचिव

निग

136